

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

लूणसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र भेरू सिंह उर्फ भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बारी तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. सूरजन सिंह आयु 75 वर्ष पुत्र भेरू सिंह उर्फ भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बारी तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान।
2. बैंक ऑफ बडोदा शाखा फतेहपुर जरिये मेनेजर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर - 13/2017 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री रिडमलसिंह एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मो. सलीम गोरी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी लूणसिंह पुत्र भूरसिंह को तहसील रामगढ शेखावाटी के ग्राम बारी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.3700 रकबा 287 रकबा 2.0500 व खसरा नम्बर 288 रकबा 2.2300 व खसरा नम्बर 300 रकबा 3.4500 व खसरा नम्बर 302 रकबा 0.9200 कुल रकबा 9.0200 में सहखातेदार उद्घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी रहन मुक्त होने के बाद ही उरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत Xखर्चा
इस मुकदमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.02.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी



दस्तख्त
[Signature]

ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	6.00	00	मुतफरिक		
मीशान	09.00	00	मीजान	01.00	

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना